सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ०टाईप, पी०डब्लू०डी० (IB)
डोरण्डा, राँची
मो० : 9431114486

पत्रांक 485/मं०/खा०   दिनांक 02-08-16

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार, राँची।

विषय :– **पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत सुप्रसिद्ध सारंडा वन प्रमंडल क्षेत्र मे "गुआ–सलाई" वन पथ के चौड़ीकरण कार्य में वन अधिनियम का उल्लंघन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय मे सारंडा संरक्षण अभियान के कार्यकर्ताओं ने दिसंबर–2015 के दूसरे सप्ताह मे इ–मेल से कुछ तस्वीरें मुझे भेजी थी जो संलग्न हैं. इन्हे मैने प्रधान सचिव को अग्रसारित कर दिया था. ये तस्वीरें वस्तुस्थिति के बारे मे स्वतः बयान करने वाली हैं. ये तस्वीरें इस वन पथ के 2 से 11 किलोमीटर दूरी के बीच की हैं।

तस्वीरें भेजने वाले स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया था कि "गुआ–सलाई" वन पथ के चौड़ीकरण का काम झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, विभाग द्वारा यह कार्य वन संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत विहित सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय अनुमति लिये बगैर किया जा रहा है।

इस वन पथ की लम्बाई 30 किलोमीटर से अधिक है. इसकी चौड़ाई करीब 4 मीटर से बढ़ाकर 17 मीटर करने की योजना पर अवैध रुप से काम चल रहा है। इस कार्य मे विनष्ट होने वाले वनक्षेत्र के अपयोजन के मद्देनजर इस मामले मे अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकार भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ही होगा।

सम्प्रति मुझे यह जानकारी नही है कि तबसे अबतक सड़क चौड़ीकरण के कार्य मे कितनी प्रगति है और बिना अनुमति लिये सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वनों को नष्ट करनेवालों के विरुद्ध झारखंड सरकार के वन विभाग के सक्षम अधिकारियों ने क्या कारवाई किया है? आप सहमत होगे कि वन भूमि अपयोजन के संदर्भ मे आवश्यक अनुमति के बगैर वनक्षेत्र का अनधिकृत विनाश एक दंडनीय अपराध है।

Scanned with OKEN Scanner

विडम्बना है कि वन महोत्सव–2016 के तहत एक ओर सरकार वृक्षारोपण का महात्वाकांक्षी अभियान चला रही है तो दूसरी ओर सरकार का ही एक अन्य विभाग नाजायज तरीका से सारंडा आरक्षित वन क्षेत्र का सुनियोजित विनाश कर रहा है. संलग्न तस्वीरों के अनुसार जिस बेतरतीब तरीका से गुआ–सलाई वन पथ को अनावश्यक रूप से चौड़ा करने के लिये इसके दोनो किनारों के वन एवं पर्वतांश को विखंडित किया गया है उससे पर्यावरण एवं पारिस्थिति की पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने के साथ ही वन्य जीवों के भ्रमण मे भी अपूरणीय बाधा उत्पन्न हुई है जिसकी भरपाई मुश्किल ही नही बल्कि असंभव सदृश भी है।

मुझे यह भी बताया गया है कि इस पथ पर यातायात भार काफी कम है. इसलिये इस पथ को चौड़ा करने की आवश्यकता ही नही थी। पूर्व की चौड़ाई मे ही इसका सुदृढ़ीकरण किया जाना अधिक उपयुक्त होता। खैर !

अनुरोध है कि इस विषय का संज्ञान लेते हुये मामले मे विधिसम्मत कारवाई करने का कष्ट करेगे तथा कृतकार्य की सूचना मुझे भी उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करेंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner